

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ मंडल में डीजल शेड/गोण्डा में वर्ष-2016 हेतु निर्धारित ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु एक्ट अप्रैन्टिस प्रशिक्षुओं के चयन के लिए निम्न ट्रेडों में आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा (प्रारूप संलग्न है) आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	ट्रेड	कुल रिक्तियां	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अपि0	प्रशिक्षण अवधि
1	वेल्डर	01	01	00	00	00	01 वर्ष
2	इलेक्ट्रीशियन	17	08	03	01	05	01 वर्ष
3	मैकेनी (डीजल)	46	24	07	03	12	02 वर्ष
4	फिटर	01	01	00	00	00	01 वर्ष
5	P.A.S.S.A. (Programming & Systems Administration Assistant)	06	03	01	00	02	01 वर्ष
6	Material Handling Equipment Mechanic cum Operator	02	01	00	00	01	01 वर्ष
7	Instrument Mechanic	01	01	00	00	00	01 वर्ष
	योग	74	39	11	04	20	

नोट—(सिर्फ उक्त ट्रेडों के आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।)

विछिन्न प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एंव फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित व स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।

(अ) आवेदन भेजने का पता—

मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक),
कैम्प कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे,
डीजल शेड, गोण्डा-271002

(ब) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12.01.2017 है।

आवेदक हेतु ध्यान देने योग्य बातें—

- 1— रेलवे बोर्ड के पत्र सं-ई(एमपीपी) 2009/6/14 दिनांक-06.10.2015 द्वारा निर्देशित शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस 100/- रुपये का पोस्टल आर्डर संलग्न करना होगा। जो विसमुलेधि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नाम से सम्बोधित होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एंव शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवार को प्रोसेसिंग फीस से छूट प्रदान की गयी है।
- 2— चयन मेरिट के आधार पर की जागेगी जो मैट्रिक परीक्षा तथा आईटीआई में प्राप्त कुल अंकों के औसत के आधार पर होगी। शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता-हाईस्कूल में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान (नेशनल कौसिल आफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी) से आईटीआई पास प्रमाण पत्र आवश्यक है।

- 3— आयु— दिनांक—01.09.2016 को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच अर्थात् अधिकतम 24 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में ३०.०९.०१/३०.०९.०१ को ०५ वर्ष एंव अपिव को ०३ वर्ष की छूट देय होगी।
- 4— प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को अप्रेन्टिस एक्ट—1961 के प्रावधान के अनुसार नियमानुसार मासिक वृत्तिका देय होगी।
- 5— अभ्यर्थी की आयु यदि १८ वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक को संविदा समझौता (एग्रीमेंट) करना आवश्यक होगा।
- 6— प्रशिक्षार्थी अप्रेन्टिस एक्ट—1961 नियम के अन्तर्गत जो भी शर्त होगी मानने के लिए बाध्य होगा तथा इस नियम के अन्तर्गत दी गयी शर्तों की उल्लंघन की स्थिति में प्रशिक्षण से वापस कर दिया जायेगा। तथा इन्हें प्रशिक्षण पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रशिक्षण अवधि में प्राशिक्षार्थी का आचरण उत्तम नहीं पाया गया तो प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा। तथा उसे प्रशिक्षण का व्यय वहन करना पड़ेगा इसमें रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 7— प्रशिक्षार्थी को मात्र अप्रेन्टिस प्रशिक्षण पूरा पास करने के आधार पर रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
- 8— रेलवे बोर्ड के पत्र सं०—ई(एमपीपी)/2002/6/10 दि०—३१.७.०६ के अनुसार सेवा के जवानों के बच्चों एंव भूतपूर्व सैनिकों के लिए ३ प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे इसके अतिरिक्त ३ प्रतिशत सीटें विकलांग कोटे (१ प्रतिशत ओ.एच., १ प्रतिशत वी.एच. एंव १ प्रतिशत एच.एच.) के लिए आरक्षित होंगे।
- 9— आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये आवेदन पत्र की सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- 10— किसी भी अभ्यर्थी का चयन रेल प्रशासन किसी भी समय रद्द कर सकता है और इस संबंध में कोई पत्राचार/साक्षात्कार मान्य नहीं होगा। रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
- 11— डाक द्वारा भेजी गयी सूचना नहीं मिलने पर भी रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 12— चयनित अभ्यर्थियों की सूची मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक) कैम्प कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे डीजल शेड गोण्डा के सूचना पट्ट पर चस्पा तथा पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।
- 13— यदि कोई चयन के लिए किसी प्रकार की पैरवी स्वंय अथवा किसी अन्य के माध्यम से करायेगा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।
- 14— रेलवे में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित पुत्र/पुत्री का आवेदन पत्र एंव अपना घोषणा पत्र इस कार्यालय को सीधे दे सकते हैं परन्तु चयन में किसी प्रकार की प्राथमिकता का प्रावधान नहीं है।

- 15— इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा के लिए एक मुहर बन्द बाक्स डीजल भोड़ गोण्डा कैम्प कार्यालय में रखा जायेगा जिसमें निर्धारित तिथि से पूर्व 74
सुबह 9.30 से 17.00 बजे तक लिफाफा डाला जा सकता है।
- 16— आवेदन पत्र को लिफाफा में बन्द करके एंव रजिस्टर्ड डाक से "मण्डल रेल प्रबन्धक(का०) कैम्प कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, डीजल शेड गोण्डा (उ०प्र०) के पते पर भेजना होगा। लिफाफे पर आवेदक का नाम, संबंधित ट्रेड एंव एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र अवश्य लिखा जाना चाहिए।
- 17— फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी सभी अर्हता पूर्ण करते हो अर्थात हाईस्कूल/आईटीआई का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका हो आवेदन भेज सकते हैं अन्यथा उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 18— उक्त अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नक—आवेदन पत्र का प्रारूप एंव घोषणा पत्र का प्रारूप।

Chamayal
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का०)
कैम्प कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे डीजल शेड, गोण्डा
दिनांक— 08/12/16

सं०—ई/ ११/२२७/ एक्ट अप्रेन्टिस / डीजल/ गोण्डा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

- 1— महाप्रबन्धक(का०) गोरखपुर
- 2— मं०रे०प्र०/अ०मं०रे०प्र०/लखनऊ
- 3— सभी विभागाध्यक्ष/पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ
- 4— मं०रे०प्र० पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी एंव इज्जतनगर
- 5— कोचिंग डिपो/लखनऊ, गोण्डा, गोरखपुर
- 6— मुख्य कारखाना प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
- 7— मुख्य कारखाना प्रबन्धक सिगनल कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर छावनी
- 8— समस्त सी०से०इंजी० लखनऊ मण्डल
- 9— मण्डल मंत्री/नरमू/एससी, एसटी/ओबीसी एसोसिएशन/लखनऊ
- 10—जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ—कृपया समाचार पत्रों तथा रोजगार सूचना पत्र में प्रकाशन की व्यवस्था करायें।
- 11—रिजनल डाइरेक्टर अप्रेन्टिस ट्रेनिंग उद्योग नगर कानपुर
- 12— क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, लखनऊ
- 13— सूचना पट्ट डीजल शेड गोण्डा
- 14— सीपीआरओ/गोरखपुर

Chamayal
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक(का०)
कैम्प कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे डीजल शेड, गोण्डा

सेवा में,

मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
कैम्प कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे,
डीजल शेड, गोण्डा

(173)

विषयः— प्रशिक्षु प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भः— इस कार्यालय की अधिसूचना सं0—ई/ 11/227/एकट अप्रै0/डीजल गोण्डा, दिनांक—

उपर्युक्त अधिसूचना के संदर्भ प्रार्थी ट्रेड प्रशिक्षु/प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है तथा यह भी घोषित करना कि मेरे ऊपर अप्रेन्टिस एकट एंव समय—समय पर परिवर्तित सभी नियम लागू होंगे।

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाना है)

- 1— आवेदक का नाम.....
- 2— पिता का नाम तथा व्यवसाय.....
- 3— जन्मतिथि..... अधिसूचना के अनुसार दि0—1.9.16 को आयु..... वर्ष.....माह..... दिन..
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 4— स्थाई निवास/पत्र व्यवहर का पूरा पता
ग्राम/मोहल्ला..... डाकखाना.....
जिला..... प्रदेश..... पिन कोड.....
- 5— क्या अनु0जाति/अनु0जन जाति व अपिव के अभ्यर्थी है यदि हाँ तो स्पष्ट रूप से लिखे—
(राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
जाति.....उपजाति.....
- 6— राष्ट्रीयता..... धर्म.....
- 7— विवाहित/अविवाहित.
यदि विवाहित है तो क्या एक से अधिक पत्नी हैः— हॉ..... नहीं.....
- 8— शैक्षणिक योग्यता:-

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	विषय	प्रतिशत अंक	संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम

9— तकनीकी योग्यता:-

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	ट्रेड	प्रतिशत अंक	नेशनल कौसिंस आफ वॉकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)

उपरोक्त शैक्षिक एंव तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा जारी प्राप्तांक तालिका एंव प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

10— अन्य योग्यताएँ.....
(सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11— दो स्थाई शारीरिक पहचान चिन्ह
अ.....
ब.....

12— दो चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
13— यदि आवेदक के पिता रेल कर्मचारी हैं तो संलग्न प्रमाण पत्र विभागीय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर जमा करें।

दिनांक.....

.....
आवेदक का हस्ताक्षर

पूर्वोत्तर रेलवे

(१७)

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल (डीजल शेड गोण्डा) में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पुत्र/पुत्री के चयन हेतु कार्यरत कर्मचारियों का घोषणा पत्र।

- 1— कर्मचारी का नाम.....
- 2— पी०एफ०सं०.....
- 3— पदनाम.....
- 4— विभाग / शाखा.....
- 5— नियुक्ति तिथि.....
- 6— वेतनमान.....
- 7— वर्तमान वेतन.....
- 8— पुत्र/पुत्री का नाम.....
(जिसका आवेदन पत्र संलग्न किया है)
- 9— अन्य पुत्र/पुत्रियों का नाम जो रेलवे में सेवारत है.....
.....
.....

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री श्री..... जिसका आवेदन पत्र संलग्न है ने आवेदन पत्र में जो विवरण दिया है वह सत्य है यह मेरे ऊपर आश्रित है। यदि इसमें कोई बात असत्य पायी जाती है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा।

पूरा हस्ताक्षर

(नाम.....)

विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन कर्ता श्री.....
पी०एफ०सं०..... पद..... कार्यालय/शाप/स्थान.....
दिनांक..... से नियमित सेवा में कार्यरत है।

(विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम.....

पद.....

(मुहर सहित)